कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0—कीर्तिनगर

Phone no./Fax no. 01370-260070 E.mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

पत्रांक 775/33 सी दिनांक 17/5/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

विषय — जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत खोला धारपयांकोटी मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से स्यालसौड़ पनयाली होते हुये बणतोलीखाल नैलचामी तक मोटर मार्ग हेतु 3.9737 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/42172/2019)

महोदय,

उपरोक्त विषयक वर्णित मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8वी0/यू0सी0पी0/06/30/2021/एफ0सी0/405 दिनांक 22.07.2021 द्वारा प्राप्त है। जिसकी अनुपालन आख्या आपको पूर्ण रूप से पांच—पांच प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।

शर्त सं0 1 :— के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 2 :— के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपी जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 3(क) :— के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के व्यय पर 7.9474 है0 ग्राम धारकोट सिविल की खसरा सं0 87, 72, 369, 393, 386, 1845, 1851, 301, 303, 405 एवं 32 सिविल सोयम वनभूमि में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा एवं जहाँ तक व्यवहारिक होगा, स्थानीय स्वेदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल प्लान्टेशन से बचा जायेगा (चालान की प्रति एवं प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 3(ख) :— के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर वानिकी भूमि को वन विभाग के पक्ष में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के आदेश सं0 130/XI-21(2021—22) दिनांक नई टिहरी, दिसम्बर 28, 2021 को हस्तान्तरित एवं नामान्तरित किया गया है (आदेश की प्रति संलग्न) तथा इस भूमि की राज्य अभिलेखों में वन विभाग के नाम इन्द्राराजी की गई है। (प्रमाण पत्र संलग्न) भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करवाने सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 3(ग) :— के अनुपालन में अवगत कराना है कि सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। जिस हेतु वन मंड़ल अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 3(घ) :— के अनुपालन में अवगत कराना है कि सी0ए0 क्षेत्र कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का पौधरोपण किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 3(ड़) :— के अनुपालन में अवगत कराना है कि 0—30 सेमी गोलाई के पौधों को प्रभावित क्षेत्र से निकाल कर सी0ए0 क्षेत्र में प्रत्यारोपित करने के शत प्रतिशत प्रयास किये जायेगें। (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 4 :— के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं 10 वर्षों के रख—रखाव सहित निर्धारित धनराशि रू0 2947707.00 दिनांक 14.01.2022 को चालान द्वारा ऑनलाईन जमा कर दी गई है (संलग्न चालान की प्रति) एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत का प्राक्कलन सम्बन्धित राजि अधिकारी से तैयार करवाकर वांछित धनराशि का ड्राफ्ट प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग को भेज दिया गया है।

शर्त सं0 5(क) :— के अनुपालन में एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि रू0 2736702.00 दिनांक 14.01.2022 को ऑन लाईन जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति एवं प्रमाण—पत्र संलग्न है)।

शर्त सं0 5(ख) :— के अनुपालन में यदि एन0पी0बी0 की दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकन्रण द्वारा बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 6 :— के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा। प्रस्ताव के अनुसार 174 वृक्ष एवं saplings (नरेन्द्रनगर, मुनिकीरेती वन प्रभाग) एवं 15 वृक्ष एवं 228 saplings (नई टिहरी वन प्रभाग) से अधिक नहीं होगी। तथा इस कार्यालय द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 7 :— के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य धनराशि क्षतिपूरक वृक्षारोपण वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड़ में हस्तान्तरित/जमा की जाने वाली धनराशि केवल ई—पोर्टल के माध्यम से जमा की गई है (चालान की प्रति संलग्न)।

— पृष्ठ सं0 2 पर —

शर्त सं0 8 :– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गाईड़ लाईन में दिये गये दिशा निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति आपको उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से 1 वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 9 :– के अनुपालन में एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से किया जायेगा (प्रमाण–पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 10 :– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार पर सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचों–बीच पौधों की संख्या बढ़ायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गतिविनियमन साईनेज लगाये जायेगें (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 12 :– के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार यदि आवश्यक हो तो पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

शर्त सं0 13 :– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की बिना पूर्वानुमति के ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 14 :– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 15 :– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान कार्य स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्य वनविभाग अथवा वनविकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा, जिससे कि निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 16 :– के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के सीमांकन का प्राक्कलन सम्बन्धित राजि अधिकारी से तैयार कराकर प्राक्कलनानुसार धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वनप्रभाग के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट सं0 879457 दिनांक 03.05.2023 द्वारा रू0 10.16 जमा की गई है। (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 17 :– के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)

शर्त सं0 18 :– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 19 :– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 20 :– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक सं0 8बी0/यू0सी0पी0/06/30/2021/एफ0सी0/405 दिनांक 22.07.2021 में अधिरोपित शर्तो में किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 21 :– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षरण एवं विकास के हित में समय–समय पर अन्य शर्ते लागू की जाती है उसका पालन किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 22 :– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना निर्माण के दौरान पुर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जायेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें। वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा, मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं की जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 23 :– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यदि इस प्रस्ताव पर कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि लागू होते है तो उनकी जरूरी अनुमति ली जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 24 :– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर भी अपलोड़ की जायेगी।

संलग्न – उपरोक्तानुसार पांच–पांच प्रतियों में।

17/05/023

(इं0 ड़ी0पी0 आर्य)
अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

पत्रांक 775 /33 सी दिनांक / /2023

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को सूचनाथ प्रेषित।

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

Received of Copies of Compliance letter 17/05/2023

वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती